[2021] 7 एस. सी. आर. 143

संजय कुमार राय

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर।

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 472)

07 मई, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कांत और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.397-आपराधिक संशोधन-न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक मामले में अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया एसएस। 504 और 506 आई. पी. सी.-आदेश के खिलाफ आपराधिक संशोधन को उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। s.397 अपील पर एशियन रिसर्फेसिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सीआरपीसी ने कहाः उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एशियाई पुनरुत्थान मामले में निर्णय की सराहना की-कम से कम कोई ऐसा कह सकता है

दो कारण-सबसे पहले, उक्त मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पी. ओ. सी. ए.) के तहत बनाए गए आरोपों को चुनौती दी गई है, जो न केवल एक विशेष कानून है, बल्कि इसमें एक विशिष्ट प्रतिबंध भी शामिल है। धारा 19 पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के नियमित प्रयोग के विरुद्ध

दूसरा, एशियन रिसर्फेसिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कानून प्रणाली में बड़े पैमाने पर लंबित और देरी से निपटने की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, मधु लिमये में पहले के एक फैसले में निर्धारित अनुपात का पालन किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि आरोप तय करने या आरोपमुक्त करने से इनकार करने के आदेश न तो अंतर्वर्ती हैं और न ही अंतिम हैं।

प्रकृति और इसलिए एस के बार से प्रभावित नहीं होते हैं। 397 (2) सी. आर. पी. सी.-इसके अलावा, उच्च न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र से भरा हुआ है-वर्तमान में

मामले में, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं करके और इस तथ्य की अनदेखी करके अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की कि 'आरोपमुक्त' अभियुक्त को प्रदान किया गया एक मूल्यवान अधिकार है-इस तथ्य के अनुरूप कि उच्च न्यायालय और नीचे की अदालत ने इस मामले में आपराधिक जांच की निष्पक्षता और गवाहों के बयानों में सुधार से संबंधित अन्य संबंधित पहलुओं की जांच नहीं की, उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है-आई. पी. सी.-एस. 504

और 506 संशोधन।

[2021] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्राधिकार-अंतर्निहित अंतर्निहित क्षेत्राधिकार क्षेत्राधिकार-उच्च न्यायालय की अंतर्निहित क्षेत्राधिकार जिसका उद्देश्य हैः उच्च न्यायालय से भरा हुआ है

प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र

व्यक्ति के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय

हालाँकि, उच्च न्यायालय को अपने पूर्व-वर्णित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय चौकस रहना चाहिए-उच्च न्यायालय में निहित विवेक को प्रभावी और विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

आपराधिक न्याय प्रणाली का समय पर प्रशासन फिर भी, एक पूर्ण व्यावहारिक दृष्टिकोण की अनुशंसा नहीं की जाती है-हालांकि, हस्तक्षेप होना चाहिए, असाधारण मामलों में, जिसमें विफल रहने पर नागरिक के अधिकारों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह की संभावना है।

मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 . आपराधिक संशोधन के दायरे को सीमित करते हुए

केवल अधिकारिता संबंधी त्रुटियों के लिए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एशियन रिसर्फेसिंग मामले में निर्णय की सराहना की। कोई कह सकता है तो कम से कम दो कारणों से। सबसे पहले, उक्त मामले में भौतिक तथ्यों ने रोकथाम अधिनियम के तहत बनाए गए आरोपों को चुनौती दी।

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 (पीओसीए)। फैसला स्वयं ही प्रकाश डालता है

कि पी. ओ. सी. ए. न केवल एक विशेष कानून है, बल्कि इसमें संशोधन के नियमित अभ्यास के खिलाफ धारा 19 के तहत एक विशिष्ट प्रतिबंध भी शामिल है।

अधिकार क्षेत्र। दूसरा, यह न्यायालय एशियन रिसर्फेसिंग में बड़े पैमाने पर लंबित मामलों और देरी से निपटने की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए

हमारी आपराधिक कानून प्रणाली में, पहले में निर्धारित अनुपात का पालन किया गया मधु लिमये में निर्णय। [पैरा 13] [149-जी-एच; 150-ए-बी]

1.2 . मधु में निर्धारित कानून की सही स्थिति

सीमा, यह है कि आरोप तय करने या निर्वहन से इनकार करने के आदेश न तो अंतर्वर्ती हैं और न ही प्रकृति में अंतिम हैं और इसलिए नहीं हैं

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया या न्याय के सुरक्षित उद्देश्यों के लिए और अलग-अलग मामलों की परिस्थिति। एक चेतावनी के रूप में यह कहा जा सकता है

कि उच्च न्यायालय को अपनी पूर्व-घोषित अधिकारिता का प्रयोग करते समय चौकस रहना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी और समय पर प्रशासन के लिए उच्च न्यायालय में निहित विवेकाधिकार का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। यह न्यायालय,

फिर भी, एक पूर्ण हैंड्स ऑफ दृष्टिकोण की सिफारिश नहीं करता है।

संजय कुमार राय बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर।

एक नागरिक। उदाहरण के लिए, जब किसी शिकायत की सामग्री या रिकॉर्ड पर अन्य कथित सामग्री एक निर्लज्ज प्रयास है एक निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना न्यायालय के लिए अनिवार्य हो जाता है। [पैरा 15] [151-बी-ई]

2. इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निचली अदालत ने

छुट्टी आवेदन पर विचार करना केवल डाकघर के रूप में कार्य करना नहीं है। अदालत को यह पता लगाने के लिए सबूतों की छान-बीन करनी होगी कि क्या संदिग्ध पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। न्यायालय को व्यापक संभावनाओं, प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों के कुल प्रभाव और बुनियादी दुर्बलताओं पर विचार करना होगा। मामले में उपस्थित होना आदि। इसी तरह, न्यायालय के पास आवश्यकता पड़ने पर उचित मामलों में आगे की जांच का आदेश देने का पर्याप्त विवेकाधिकार है। [पैरा 16] [151-ई-एफ]

3. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रतिबद्ध किया

गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं करके और इस तथ्य की अनदेखी करके कि 'निर्वहन' अभियुक्त को प्रदान किया गया एक मूल्यवान अधिकार है, अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है। इस तथ्य के अनुरूप कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने इस मामले में आपराधिक जांच की निष्पक्षता और गवाहों के बयानों में सुधार से संबंधित अन्य संबंधित पहलुओं की जांच नहीं की है, उच्च न्यायालय के लिए पूरे मामले पर पुनर्विचार करना और पुनरीक्षण याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेना आवश्यक है। [पैरा 18] [151-जी-एच; 152-ए-बी]

मधु लिमये बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 4 एससीसी

551 : [1978] 1 एस. सी. आर. 749 और भारत संघ बनाम प्रफुल्ल

कुमार सामल (1979) 3 एस. सी. सी. 4: [1979] 2 एससीआर 229-निर्भर

पर।

रोड एजेंसी प्रा. लि. का एशियन रिसर्फेसिंग। लिमिटेड वी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (2018) 16 एस. सी. सी. 299: [2018] 2 एससीआर

1045 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 1 एससीआर 749

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2018] 2 एससीआर 1045

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1979] 2 एससीआर 229

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

472 2021 का

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के आपराधिक पुनरीक्षण दोषपूर्ण सं. 325 में दिनांक 28.11.2018 के निर्णय और आदेश से

2014 .

दीपक नारगोलकर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती प्रेरणा सिंह, श्रीमती दिव्या मिश्रा, शांतनु सागर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अंकुर प्रकाश, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे,

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 28.11.2018 के फैसले से निकलती है, जिसके तहत मुख्य न्यायिक के 13.03.2014 के आदेश के खिलाफ आपराधिक संशोधन किया जाता है। मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर ने एन. सी. आर. संख्या 120/2012 में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504 और 506 [इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित] के तहत आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया है।

3. निपटान के लिए तथ्यों का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक हो सकता है

वर्तमान अपील। समाचार पत्र होने का दावा करने वाले प्रतिवादी नंबर 2 (कुलदिप मिश्रा) ने अधिकार क्षेत्र वाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

'द पायनियर' के लिए काम करने वाले संवाददाता। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक गैस के खिलाफ कदाचार के लिए पत्रकारिता की जांच की थी

एजेंसी, अर्थात् 'कल्पना इंडेन सर्विस'। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ जानकारी के लिए भी आवेदन किया था, ताकि उपरोक्त एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडरों के कथित कालाबाजारी की जांच की जा सके। इसमें अपीलार्थी उपरोक्त गैस एजेंसी में भागीदार है। एन. सी. आर. रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि अपीलकर्ता, जब वह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किए गए कॉल का जवाब दे रहा था, तो उसे नाम से बुलाना शुरू कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 को मारने की धमकी दी। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने प्रतिवादी नंबर 2 को उसके चेहरे पर कई गोलियां फेंकने की धमकी दी थी ताकि उसे पहचाना भी न जा सके।

4. <आई. डी. 1 पर शिकायतकर्ता ने धारा 155 (2) के तहत संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ("सी. जे. एम".) के समक्ष आवेदन दायर किया।

Cr.P.C. उपरोक्त आरोपों की जांच करने के लिए। अदालत ने तदनुसार जांच का निर्देश दिया और स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

संजय कुमार राय बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [सूर्या कान्ट, जे,]

5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि जांच के दौरान बयान

शिकायतकर्ता की शिकायत पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी जो केस डायरी का हिस्सा है। उपरोक्त कथन में बताए गए भौतिक आरोप इस प्रकार हैं:

... . आवेदक ने अपने मोबाइल का स्पीकर चालू रखा था

और उसके मोबाइल नंबर से। संजय राय के मोबाइल पर XXXX ने फ़ोन किया

नहीं। XXXX उक्त गैस में नवीनतम अनियमितताओं के बारे में पूछताछ करेगा

कि आपका सूचना का अधिकार और बौद्धिक चिंताएँ अपने हाथों में वापस रखें। मैं गोली मार दूंगा [sic]। इतनी गोलियाँ

कि आपका चेहरा भी पहचाना नहीं जा सका। मोहम्मद. साहरिफ़ काहन

और उमेश कुमार भट्ट ने भी धमकी देते हुए सुना था

संजय राय "।

यह स्पष्ट है कि कथन में भौतिक परिवर्तन हुआ है

प्रतिवादी-शिकायतकर्ता जिसमें उसने मोहम्मद का परिचय कराया। शरीफ खान और उमेश कुमार भट्ट अपीलार्थी द्वारा की गई कॉल के लिए गवाह के रूप में।

6. किसी भी मामले में, 21.07.2012 पर एक आरोप पत्र दाखिल किया गया।

शिकायतकर्ता के बयान और दो गवाहों के हलफनामे के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहां यह उल्लेख करना संदर्भ से बाहर नहीं हो सकता है कि जांच अधिकारी ने अपीलार्थी के बयान को रिकॉर्ड में लेना या उसके पक्ष पर भी विचार करना आवश्यक नहीं समझा।

7. सीजेएम ने 08.11.2012 पर मामले का संज्ञान लिया।

हालाँकि, आरोप तय करने से बहुत पहले अपीलार्थी ने धारा 239 Cr.P.C के तहत उसे आरोपमुक्त करने की मांग की. यह तर्क देते हुए कि शिकायतकर्ता ने उसे गलत तरीके से फंसाया है और टेलीफोन पर धमकी देने का आरोप आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराध नहीं है। यह भी कहा गया कि जाँच निष्पक्ष नहीं थी और अपने दृष्टिकोण में एकतरफा थी जिसमें जाँच अधिकारी ने सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था और इसके बजाय अपीलार्थी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान पर भरोसा किया था। विद्वान सी. जे. एम. अपीलार्थी की याचिका से सहमत नहीं हुए और उनके आरोपमुक्त करने के आवेदन को निम्नानुसार देखते हुए खारिज कर दिया:

" XXX

XXX

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कोई शपथ पत्र या कोई

आवेदक/अभियुक्त द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया गया है।

उनके निर्वहन का समर्थन-आवेदन।

तथ्य यह है कि किस शब्द का उपयोग गाली और धमकी के रूप में किया गया है

आवेदक द्वारा साक्ष्य का विषय है जो नहीं हो सकता है इस स्तर पर निर्धारित किया गया। [sic.]

अभिलेखों पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से, वहाँ

रिकॉर्ड पर उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं

अभियुक्त।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन

आवेदक श्री संजय कुमार राय द्वारा दायर दिनांक 20.02.2014,

यू/एस-239, Cr.P.C. इस स्तर पर रखरखाव योग्य नहीं प्रतीत होता है।

और इसलिए अस्वीकार किए जाने योग्य है।

XXX "

XXX

XXX

8. उपरोक्त आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने

उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक संशोधन याचिका के माध्यम से सी. जे. एम. के आदेश को उलटने की मांग की। उच्च न्यायालय रोड एजेंसी प्रा. लि. के एशियन रिसर्फेसिंग में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करता है। लिमिटेड वी. केंद्रीय ब्यूरो जांच 1 में पाया गया कि आरोप तय करने के आदेश में हस्तक्षेप या आरोप मुक्त करने से इनकार करना दुर्लभतम मामलों में केवल अधिकार क्षेत्र की पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए आवश्यक है। सी. जे. एम. में ऐसी कोई अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई

आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया।

9. उपरोक्त आक्षेपित आदेश से असंतुष्ट, अपीलार्थी

अभियुक्त ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

सामग्रीः

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि प्रथम दृष्टया,

शिकायतकर्ता की कहानी संदिग्ध लगती है, क्योंकि उसने खुद फोन कॉल शुरू किया, स्पीकर पर रखा और दो गवाहों को सुनने के लिए तैयार रखा।

बातचीत। पुलिस द्वारा कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं मांगा गया था, गवाहों के हलफनामों को आंख मूंदकर स्वीकार कर लिया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उनके बयान दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। जाँच अधिकारी बंद दिमाग से आगे बढ़े और शिकायतकर्ता की साख की लापरवाही से अनदेखी की, जो आई. पी. सी. की धारा 323,504 और 506 सहित सात आपराधिक मामलों में शामिल है। निवासी संपादक का एक पत्र

1 (2018) 16 एस. सी. सी. 299 संजय कुमार राय बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [सूर्या कान्ट, जे,]

' 'द पायनियर' को भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि शिकायतकर्ता कथित घटना के समय उनके समाचार पत्र में कार्यरत नहीं था।

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि आरोप आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 के तहत एक स्पष्ट मामला बनाते हैं और उच्च न्यायालय या सी. जे. एम. द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी। इस न्यायालय के फैसले के अलावा, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था, उन्होंने कर्नाटक राज्य बनाम का हवाला देते हुए अपनी दलीलों का समर्थन किया। एम. आर. हीरेमथ 2 ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को साक्ष्य संबंधी प्रश्नों में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

निर्वहन पर विचार करने के चरण में प्रस्तुत सामग्री का मूल्य, और श्रीलेखा सेंटेलकुमार बनाम। सी. बी. पी. 3 जिसके तहत इस न्यायालय ने राय दी कि सी. आर. पी. सी. की धारा 239 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले के गुण-दोष पर गौर करना अस्वीकार्य था।

विश्लेषणः

12. शुरुआत में, हम यह नोट कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने धारा के तहत अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया है

397 उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए इस मुद्दे की विस्तार से जांच नहीं की कि क्या कार्यवाही जारी रखना इस मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। विवादित आदेश में इस निर्णय का हवाला दिया गया है

एशियन रिसर्फेसिंग (ऊपर) में न्यायालय जिसमें इसे निम्नानुसार नोट किया गया थाः

" ..... इस प्रकार, हम कानून को यह घोषित करते हैं कि आदेश तैयार करने का आरोप विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है और न ही अंतिम आदेश है। अधिकारिता

याचिका के लेबल के बावजूद, चाहे वह संविधान की धारा 397 या 482 दंड प्रक्रिया संहिता या अनुच्छेद 227 के तहत हो, उच्च न्यायालय की याचिका पर रोक नहीं है। हालांकि, उक्त अधिकार क्षेत्र का उपयोग विधायी नीति के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

किसी भी तरह से बाधित किए बिना एक मुकदमे का। इस प्रकार, प्रभार के आदेश के लिए चुनौती होनी चाहिए

केवल एक पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए दुर्लभतम मामले में विचार किया गया

अधिकारिता की और मामले की फिर से सराहना करने के लिए नहीं।

13. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक संशोधन के दायरे को केवल अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों तक सीमित करते हुए, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से एशियाई पुनरुत्थान (ऊपर) में निर्णय की सराहना की। हम कम से कम दो कारणों से ऐसा कहते हैं। सबसे पहले, उपरोक्त उद्धृत मामले में भौतिक तथ्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ("पी. ओ. सी. ए".) के तहत बनाए गए आरोपों को चुनौती देते हैं। उद्धृत निर्णय स्वयं ही प्रकाश डालता है

2 (2019) 7 एस. सी. सी. 515

3 3 (2019) 7 एससीसी 82 [2021] 7 एस. सी. आर.

कि पी. ओ. सी. ए. न केवल एक विशेष विधान है, बल्कि इसमें पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के नियमित प्रयोग के खिलाफ धारा 19 के तहत एक विशिष्ट प्रतिबंध भी शामिल है। दूसरा, एशियन रिसर्फेसिंग (सुप्रा) में इस न्यायालय ने हमारी आपराधिक कानून प्रणाली में बड़े पैमाने पर विचाराधीनता और देरी से निपटने की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, मधु लिमये बनाम में पहले के निर्णय में निर्धारित अनुपात का पालन किया। महाराष्ट्र राज्य से देखा जा सकता है

निम्नलिखित उद्धरणः

" 27. इस प्रकार, भले ही विभिन्न स्थितियों से निपटने में,

प्रतीत होता है कि परस्पर विरोधी टिप्पणियां की गई होंगी जबकि

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आदेश तैयार करने का प्रभार अंतर्वर्ती आदेश था और धारा 397 (2) के तहत हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी नहीं था या

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत भी मधु में निर्धारित सिद्धांत

लिमये [मधु लिमये बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1977) 4 एससीसी

दी गई स्थिति में धारा 397 (2) के तहत हस्तक्षेप किया जा सकता है। सी. आर. पी. सी. या 482 सी. आर. पी. सी. या संविधान का अनुच्छेद 227

संवैधानिक प्रावधान लेकिन उच्च न्यायालय की शक्ति

आदेश तय करने के शुल्क में हस्तक्षेप करना और रोक देना है

केवल एक असाधारण स्थिति में प्रयोग किया जाए। "

(जोर दिया गया)

14. मधु लिमये (ऊपर) में, इस न्यायालय ने आधिकारिक रूप से अभिनिर्धारित कियाः

" 9 ..... कभी-कभी उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में है

चुनौती देकर उसी तरह की राहत के लिए भी सहारा लिया गया

संज्ञान लेने या प्रक्रियाएं जारी करने या प्रभार तय करने का आदेश

इस आधार पर कि न्यायालय को लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था संज्ञान लेना और मुकदमे के साथ आगे बढ़ना, कि प्रक्रिया जारी करना

यह पूरी तरह से अवैध या अमान्य था, या कि कोई आरोप इस रूप में तैयार नहीं किया जा सकता था

लगाए गए आरोपों या साक्ष्य पर कोई अपराध नहीं किया गया था। अदालत में पेश किया गया।

10. ..... यह मानते हुए भी, हालांकि हम वर्तमान में दिखाएंगे कि यह है

ऐसा नहीं है कि ऐसे मामले में न्यायालय का संज्ञान लेने का आदेश या जारी करने की प्रक्रिया एक अंतर्वर्ती आदेश है, क्या यह खड़ा है

यह कहने का कारण है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति नहीं हो सकती है

आपराधिक कार्यवाही को जल्द से जल्द रोकने के लिए अभ्यास,

अंत तक अभियुक्त को परेशान करने के बजाय? इसका जवाब है -

4 (1977) 4 एस. सी. सी. 551 संजय कुमार राय बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [सूर्या कान्ट, जे,]

स्पष्ट है कि बार दुरुपयोग को रोकने के लिए काम नहीं करेगा

न्यायालय की प्रक्रिया और/या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।

पीड़ित पक्ष द्वारा दायर याचिका का लेबल है - महत्वहीन है।

(जोर दिया गया)

15. मधु लिमये में निर्धारित कानून की सही स्थिति

(उपर्युक्त), इस प्रकार, यह है कि आरोप तैयार करने या निर्वहन से इनकार करने के आदेश न तो अंतर्वर्ती हैं और न ही अंतिम प्रकृति के हैं और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) के प्रतिबंध से प्रभावित नहीं हैं। इसके अलावा, उपरोक्त उद्धृत मामलों में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उच्च न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र से भरा हुआ है। एक चेतावनी के रूप में यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय को अपनी पूर्व-घोषित अधिकारिता का प्रयोग करते समय चौकस रहना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी और समय पर प्रशासन के लिए उच्च न्यायालय में निहित विवेकाधिकार का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। यह न्यायालय,

फिर भी, एक पूर्ण हैंड्स ऑफ दृष्टिकोण की सिफारिश नहीं करता है। हालाँकि, हस्तक्षेप होना चाहिए, असाधारण मामलों में, जो विफल हो सकता है

एक नागरिक के अधिकारों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह की संभावना है। उदाहरण के लिए, जब किसी शिकायत की सामग्री या रिकॉर्ड पर अन्य कथित सामग्री किसी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित करने का एक निर्लज्ज प्रयास है, तो अदालत के लिए कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना अनिवार्य हो जाता है।

16. इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निचली अदालत विचार करते हुए

छुट्टी का आवेदन केवल डाकघर के रूप में कार्य करने के लिए नहीं है। अदालत को यह पता लगाने के लिए सबूतों की छान-बीन करनी होगी कि क्या संदिग्ध पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। न्यायालय को व्यापक संभावनाओं, प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों के कुल प्रभाव और मामले में दिखाई देने वाली बुनियादी दुर्बलताओं आदि पर विचार करना होगा। [भारत संघ बनाम। प्रफुल्ल कुमार सामल]। इसी तरह, न्यायालय के पास पर्याप्त विवेकाधिकार है यदि आवश्यक हो तो उचित मामलों में आगे की जांच का आदेश देना।

17. यह हमें वर्तमान मामले में लाता है जिसमें उच्च न्यायालय ने

मामले के गुण-दोष में नहीं गए और ऊपर निर्दिष्ट तय किए गए कानून के आलोक में मामले का विश्लेषण नहीं किया।

18. उच्च न्यायालय ने अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं की है

गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण याचिका पर विचार करना और इस तथ्य की अनदेखी करना कि 'निर्वहन' अभियुक्त को प्रदान किया गया एक मूल्यवान अधिकार है। के अनुरूप

उच्च न्यायालय और निम्न न्यायालय ने इस मामले में आपराधिक जांच और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच नहीं की है जैसे कि गवाहों के बयानों में सुधार, यह आवश्यक है कि टी पूरे मामले पर पुनर्विचार करे और पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय ले, इसलिए हमने मामले में पुनरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द कर दिया है।

अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

y.

मामला उच्च न्यायालय में भेज दिया गया।

हान बोस